

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

55वीं बोर्ड बैठक

विचाराधीन विषयों
की सूची

दिनांक : 22.09.2018









समय : अपरान्ह 4.30 बजे

स्थान : सर्किट हाउस,
सहारनपुर।

विषय सूची

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
55/01	दिनांक 08-06-2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1-5
55/02	दिनांक 08-06-2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	6-8
55/03	ग्राम दसा शिवपुरी स्वाद बैरुन की अर्बन रीजिलिंग भूमि खसरा संख्या 24मि०, 25मि०, 20मि० व 21मि० का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी। भूमि जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को स्थानान्तरित है, में अन्य भूस्वामी श्रीमति कंचन जुनेजा की 142.18 वर्ग मी० भूमि को दूसरी तरफ खसरा सं० 21 से विनियम करने हेतु।	9-14
55/04	प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति।	15-16
55/05	सहारनपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2017-18 दिनांक 31.03.2018 तक वास्तविक आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित आय-व्यय अनुपात की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	17-21
55/06	आवृत्तिक भूखण्डों हेतु ग-आवृत्त-ए के तहत क्षेत्रफल अनुपात(एफ०ए०आर०) का पुनर्निर्धारण किया जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपवेधि 2008(यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में यथासंशोधित संशोधन के सम्बन्ध में।	22-24
	अन्य विषय मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2018 में उपस्थिति।

क्र०सं०	नाम/पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
1-	श्री सी०पी० त्रिपाठी आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष	
2-	श्री आलोक कुमार पाण्डेय जिलाधिकारी सहारनपुर।	सदस्य	
3-	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ	सदस्य	
4-	सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ	सदस्य	
5-	श्री सुखलाल भारती उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष	
6-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य	
7-	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह नगर आयुक्त नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य	
3-	अपर निदेशक (कोषागार) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।	सदस्य	
9-	अधीक्षण अभियन्ता उ०प्र० जल निगम, निर्माण मण्डल, सहारनपुर।	सदस्य	
10-	अधीक्षण अभियन्ता सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य	
1	अधीक्षण अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमंत्रित	

- 12 श्री काली विभूति शुक्ला,
सहयुक्त नियोजक,
मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड,
मेरठ।
- 13 श्री कौशवेन्द्र कुमार गौतम,
नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।
- 14 श्री यादराम यादव,
उप महानिरीक्षक निबंधन,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

Krishna Singh

(3)

विशेष आमंत्रि

3/4

दिनांक 22.09.2018 को सम्पन्न हुई सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।
 उपस्थिति :-

1-	श्री सी०पी० त्रिपाठी आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष
2-	श्री आलोक कुमार पाण्डेय जिलाधिकारी सहारनपुर।	सदस्य
3-	श्री सुखलाल भारती उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष
4-	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह नगर आयुक्त नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य
5-	श्री काली विभूति शुक्ला सहयुक्त नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य
6-	श्री ए०के० राय, अपर निदेशक (कोषागार) प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।	सदस्य
7-	श्री सूरजलाल, अधीक्षण अभियन्ता उ०प्र० जल निगम, निर्माण मण्डल, सहारनपुर।	सदस्य
8-	श्री कर्मवीर सिंह, अधिशाली अभियन्ता प्रतिनिधि - अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहा०	सदस्य
9	श्री रवीन्द्र गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमन्त्री
10	श्री कौशवेन्द्र कुमार गौतम, नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	विशेष आमन्त्री
11	श्री यादराम यादव, उपमहानिरीक्षक, निबन्धन सहारनपुर।	विशेष आमन्त्री

161
एजेन्डा आईटम संख्या : 55/01

विषय: दिनांक 08-06-2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
गत बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/02

विषय: दिनांक 08-06-2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	अनुपालन आख्या
54/01	दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
54/02	दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या को अवलोकित किया गया।
54/03	परिचालन के माध्यम से समय-समय पर आहुत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि/अनुपालन आख्या।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
54/04	ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरून की अर्बन सीलिंग भूमि खसरा संख्या 24मि०, 25मि०, 20मि० व 21मि० का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी० भूमि जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को स्थानान्तरित है, में अन्य भूस्वामी श्रीमती कंचन जुनेजा की 142.18 वर्ग मी० भूमि को दूसरी तरफ खसरा सं० 21 से विनिमय करने हेतु।	मा० बोर्ड द्वारा गठित समिति की संयुक्त आख्या का अवलोकन करते हुए बैठक के एजेन्डा आईटम संख्या 55/03 पर प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निर्देशित किया गया।
54/05	"रणदीप सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट" स्थित ग्राम चुनैहटी गाड़ा, सहारनपुर के शमन मानचित्र संख्या 544/2009-10 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 895(1)/8-3-16-64 काम्प/16 दिनांक 18.07.2016 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2018 में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री काली विभूति शुक्ला, सहयुक्त नियोजक, मेरठ को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का सघनता से परीक्षण करते हुए अपने अभिमत/मनतव्य सहित आख्या शीघ्र प्रस्तुत करें। तदोपरान्त पूर्व में मा० बोर्ड द्वारा प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, अपर निदेशक(कोषागार) तथा प्राधिकरण के वित्त एवं लेखाधिकारी की गठित समिति से परीक्षण कराते हुए प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों एवं औचित्य सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त आख्या हेतु तिथि निर्धारित कर ली जाये।

54/06	मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण का कार्य।	<p>इस सम्बन्ध में मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम मंवीकला में प्लिंथ लेवल से ऊपर के 368 भवनों में से प्रथम फेस के अन्तर्गत 96 भवनों को पूर्ण कराये जाने तथा सम्पूर्ण पॉकेट के विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में आगणन तैयार कर लिये गये हैं, जिसे स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की अवरस्थापना समिति की बैठक में पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत प्लिंथ लेवल या प्लिंथ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी से इस भूमि का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अभिलेखों में दर्ज करने हेतु अनुरोध किये जाने की अपेक्षा की गई है, जिससे अधूरे पड़े भवनों को पूर्ण कराकर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किया जा सके।</p> <p>उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन के उक्त निर्देशानुसार जिलाधिकारी, सहारनपुर से अनुरोध कर लिया जाये तथा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये जिसमें सहयुक्त नियोजक, मेरठ, सचिव, स0वि0प्रा0, अधीक्षण अभियन्ता, स0वि0प्रा0 सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे।</p>
54/07	सहारनपुर विकास क्षेत्र में नियोजित कालोनियों/तलपट मानचित्रों के भूखण्डों के आमेलन के सम्बन्ध में।	<p>इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि गत बोर्ड बैठक दिनांक 08.06.2018 में मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु श्री कटियार, सहायक नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से अनुरोध किया गया था, परन्तु वॉछित आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>आख्या अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।</p>

54/08	किसी परियोजना/कार्य में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्थिति में विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
अनुपूरक एजेन्डा आईटम संख्या : 01	(मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) ग्राम छिदवना के खसरा नं0 578, 579 एवं 580 पर डा0 राजीव कुमार तिवारी द्वारा नर्सिंग होम के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र सं0 347/2016-17 पर सहारनपुर महायोजना 2021, जोनिंग रेगुलेशन एवं प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुपालन अवशेष नहीं है।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/03

विषय : ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरुन की अर्बन सीलिंग भूमि खसरा संख्या 24मि0, 25मि0, 20मि0 व 21मि0 का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी0 भूमि जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को स्थानान्तरित है, में अन्य भूस्वामी श्रीमती कंचन जुनेजा की 142.18 वर्ग मी0 भूमि को दूसरी तरफ खसरा सं0 21 से विनिमय करने हेतु।

मा0 बोर्ड द्वारा गत बैठक दिनांक 08.06.2018 में गठित समिति की संयुक्त आख्या के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने की दृष्टि से अधिकतम एक माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जाये। इसके उपरान्त शीघ्र ही नियोजन करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जाये।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/04

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अद्यतन स्थिति का अवलोकन करते हुए मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने के बिन्दु पर मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्लिंथ लेवेल या प्लिंथ लेवेल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने, विकास कार्या तथा ग्राम दराअली स्वाद अन्दरुन(नोन जैड0ए0), परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के खेवट संख्या 449, जो राजस्व अभिलेखानुसार "भारत सरकार" के नाम अंकित है, के कुल रकबा 4.722 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित की जाये।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/05

विषय : सहारनपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2017-18 दिनांक 31.03.2018 तक वास्तविक आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित आय-व्यय अनुमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत अतिरिक्त वृक्षारोपण व्यय मद को विलोपित करते हुए शेष प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/06

विषय:- औद्योगिक भूखण्डों हेतु मू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात(एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008(यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्ताव अंगीकृत किया गया तथा निर्देशित किया गया कि अंगीकरण की सूचना शासन को प्रेषित की जाये।

मा0 अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से-

बोर्ड बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त करते हुए सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के पुराने घने बसे क्षेत्र तथा सहारनपुर महायोजना में निर्मित आवासीय क्षेत्र के रूप में दर्शित क्षेत्र के अन्तर्गत विन्हित सघन बाजार क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है-

सहारनपुर महायोजना-2021 में दर्शित पुराने और निर्मित क्षेत्रों में जहाँ पर पूर्व से सड़क के किनारे व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं, उक्त सघन बाजार क्षेत्र के अग्र भाग में 1.50 मी0, अग्र सैट बैक के पश्चात 6.00 मी0 कुल 7.50 मी0 तक केवल भूतल पर व्यवसायिक क्रिया अनुमन्य है। शेष अनुवर्ती 2 तलों तक अनुमन्य एफ0ए0आर0 के अंतर्गत आवासीय उपयोग हेतु निर्माण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार महायोजना में दर्शित बाजार क्षेत्र में अग्र सैट बैक 1.50 मी0 के साथ न्यूनतम 3.00 मी0 गहराई तक पार्किंग के साथ कुल 12.00 मी0 गहराई तक भूतल तक व्यवसायिक गतिविधि अनुमन्य है। शेष अनुवर्ती 2 तलों तक आवासीय उपयोग अनुमन्य होगा। अर्थात् कुल 3 तल तक निर्माण कार्य अनुमन्य होगा।

उपरोक्त सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र में महायोजना में सड़क की चौड़ाई अंकित नहीं है परन्तु निर्मित आवासीय क्षेत्र में भवन उपविधि के प्राक्धानों के अनुरार आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति 4.00 मीटर चौड़ी सड़क पर किये जाने का प्राक्धान है। महायोजना में 100 वर्षों से अधिक पूर्व निर्मित क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र के रूप में दर्शित किया गया है, जिसमें पूर्व में ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियाँ भू-तल पर संचालित हैं। उक्त को नियमित किये जाने के उद्देश्य से ही आवासीय निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत सघन बाजार के रूप में भूतल पर 1.50 मीटर सैट बैक छोड़ते हुए मात्र 6.00 मीटर की गहराई तक व्यवसायिक क्रियाएँ अनुमन्य की गयी हैं तथा बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र भू-तल पर 1.50 मीटर सैट बैक तथा 3.00 मीटर पार्किंग स्थल को छोड़ते हुए मात्र 7.50 मीटर की गहराई तक व्यवसायिक/वाणिज्यिक क्रियाएँ अनुमन्य की गयी हैं। शेष भूखण्ड पर तथा अनुवर्ती तलों पर आवासीय क्रियाएँ ही अनुमन्य की गई हैं, जिससे विशुद्ध रूप से उस क्षेत्र को निर्मित आवासीय ही रखा जा सके एवं मात्र दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त व्यवसायिक क्रियाएँ अनुमन्य की गयी हैं।


बोर्ड बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री काली किभूति शुक्ला, सहयुक्त नियोजक एवं शासन द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण से सम्बद्ध किये गये श्री कौशवेन्द्र कुमार गौतम, नगर नियोजक से उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गहन चर्चा की गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि गेरठ विकास प्राधिकरण में सघन बाजार क्षेत्र एवं बाजार क्षेत्र में महायोजना के अनुसार दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में बाजार क्षेत्र नहीं है, बल्कि नगरीय निर्मित क्षेत्र में व्यवसायिक क्षेत्र को नियंत्रित करने हेतु मात्र 6.50 मी0 गहराई तक बाजार स्ट्रीट घोषित करते हुए न्यूनतम 4.00 मी0 सड़क अथवा स्थल पर विद्यमान सड़क, जो भी अधिक चौड़ी हो, के आधार पर महायोजना के प्राक्धानों के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। उनके द्वारा संयुक्त रूप से सहारनपुर विकास प्राधिकरण में भी उपरोक्त व्यवस्थाओं को लागू करते हुए मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने की सहमति दी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि वर्तमान में प्रभावी महायोजना में निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र में व्यवसायिक क्रिया अनुमन्य किये जाने के लिए किसी प्रकार की सड़क चौड़ाई हेतु कोई प्रतिबन्ध अंकित नहीं किया गया है बल्कि व्यवसायिक क्रिया की अनुमन्यता को भूखण्ड की निश्चित गहराई एवं भू-तल तक ही सीमित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र के अतिरिक्त महायोजना में दर्शित अन्य व्यवसायिक भू-उपयोग में जहाँ पर वर्तमान में ले-आउट स्वीकृत किया जाना सम्भव

है, उक्त स्थलों पर आवश्यक रोड वाईडनिंग के साथ 12.00 मी० चौड़ी सड़क के प्रस्ताव के साथ व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

अतः विचार विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि आवासीय निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत महायोजना में निर्मित सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र में निर्मित आवासीय क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम 4.00 मीटर चौड़ी सड़क अथवा स्थल पर विद्यमान सड़क, जो भी अधिक चौड़ी हो, के आधार पर सहारनपुर महायोजना-2021 के प्राविधानों के अनुसार आवासीय/व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा अन्य व्यवसायिक भू-उपयोग में जहाँ वर्तमान में ले-आउट स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसे स्थलों पर आवश्यक रोड वाईडनिंग सहित 12.00 मी० चौड़ी सड़क के प्रस्ताव के साथ व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत किये जायें।




(कर्मवीर सिंह)

अधिशारी अभियन्ता
प्रतिनिधि-अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त,
लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।



(ए०के० राय)

अपर निदेशक(कोषागार)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
सहारनपुर।




(काली विभूति शुक्ला)

सहयुक्त नियोजक,
प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।




(कौशवेन्द्र कुमार गौतम)

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद। (विशेष आमंत्रित)



(रविन्द्र गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता
नगरीय विद्युत वितरण मण्डल,
सहारनपुर। (विशेष आमंत्रित)




(सूरजलाल)

अधीक्षण अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम,
निर्माण मण्डल, सहारनपुर।



(यादराम यादव)

उप महानिरीक्षक निबन्धन,
सहारनपुर। (विशेष आमंत्रित)



(ज्ञानेन्द्र सिंह)

नगर आयुक्त, नगर निगम,
सहारनपुर।



(सुखलाल भारती)

उपाध्यक्ष,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।



(आलोक कुमार पाण्डेय)

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।



(सी०पी० त्रिपाठी)

अध्यक्ष/आयुक्त
विकास प्राधिकरण/सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।